

(नोट – ई-ग्रास चालान/ड्राफ्ट /बैंकर्स चैक की संख्या अधिक होने पर अलग से सूची संलग्न करें।)

7. निविदादाता के नाम, पता आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	निविदादाताओं के नाम	पिता/पति का नाम	उम्र	पूरा पता, मकान नं., मोहल्ला, गांव तहसील जिला एवं राज्य	मोबाईल नम्बर	निविदादाताओं के हस्ताक्षर	निविदा किस हैसियत से प्रस्तुत की जा रही है।

(निविदादाता के पैन कार्ड एवं निवास स्थान के प्रमाण स्वरूप – आधारकार्ड/मतदाता परिचय पत्र/ड्राईविंग लाईसेन्स/पासपोर्ट में से किसी एक की स्पष्ट पढ़ने योग्य स्वः प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है। साझेदारी फर्म की और से निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में साझेदारी डीड की स्वःप्रमाणित प्रति, कम्पनी की और से निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में मेमोरेण्डम ऑफ एसोसियेशन की प्रति)

8. राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 तथा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में वर्णित नियमों एवं इन नियमों के अन्तर्गत भाग खुदरा एवं थोक विक्रय के लिये अनुज्ञापत्र (Licence) के संबंध में विस्तृत निर्देश एवं शर्तों तथा जारी किये जाने वाले अनुज्ञापत्र की शर्तों, जो इस निविदा के अभिन्न अंग हैं, को पढ़ ली है, समझ ली है एवं इनकी पालना करने के लिये मैं/हम पूर्ण रूप से सहमत हूँ/है।

9. मेरे/हमारे द्वारा निविदा में जो भी विवरण प्रस्तुत किया है वह पूर्ण रूप से सही है तथा इसके लिये मैं/हम पूर्ण रूप से जिम्मेदार हूँ/है।

स्थान –
दिनांक –

(निविदादाताओं के हस्ताक्षर)

आबकारी विभाग, राजस्थान

भाग निविदा के संबंध में विस्तृत निर्देश एवं शर्तें

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 तथा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में वर्णित नियमों एवं इन नियमों के अन्तर्गत भाग खुदरा एवं थोक विक्रय के लिये अनुज्ञापत्र (Licence) के संबंध में विस्तृत निर्देश एवं शर्तें :-

- 1 अनुज्ञा फीस के आधार पर भाग विक्रय के अनुज्ञा पत्र दिये जाने हेतु निविदाओं का आमंत्रण :-
 - 1.1 आबकारी बंदोबस्त वर्ष 2020-2021 (दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक) हेतु परिशिष्ट "अ" में उल्लेखित भाग समूहों में सम्मिलित भाग पत्ती/भाग घोटा (माजूम, बुकनी, गुलकन्द आदि सहित) की खुदरा दूकानों पर उनके विक्रय के लिए एवं समूह क्षेत्र में भाग थोक विक्रय हेतु राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 तथा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के अन्तर्गत अनुज्ञा फीस के आधार पर अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई है।
2. भाग समूहों का विवरण :-
 - 2.1 भाग समूहों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है जिसमें भाग समूह में सम्मिलित भाग पत्ती/भाग घोटा (माजूम, बुकनी, गुलकन्द आदि सहित) की खुदरा दूकानों की संख्या, आरक्षित राशि एवं जमा कराई जाने वाली अमानत राशि (अर्नेस्टमनी) दर्शायी गई है।
 - 2.2 प्रत्येक समूह अपने आप में एक स्वतन्त्र इकाई है तथा एक समूह का अन्य समूहों से किसी प्रकार का कोई सह-सम्बन्ध नहीं है।
3. भाग थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापत्र जारी करना :-
 - 3.1 भाग समूह क्षेत्र में भाग के थोक विक्रय हेतु भी अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जा सकेंगे परन्तु इस हेतु वे व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने इस भाग समूह क्षेत्र में भाग के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिये अपनी निविदा प्रस्तुत की है अथवा जिन्हें उस समूह क्षेत्र के खुदरा विक्रय का अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किया गया है।
 - 3.2 भाग थोक अनुज्ञापत्र हेतु वार्षिक अनुज्ञा फीस रुपये 10,000/- पृथक से भुगतान करना होगा।
 - 3.3 अनुज्ञाधारी को भाग थोक गोदाम केवल उसी क्षेत्र में स्थापित करने के लिए स्वीकृत किया जायेगा जिसमें उस अनुज्ञाधारी को भाग खुदरा विक्रय हेतु अनुमति/अनुज्ञापत्र जारी किया गया है।
 - 3.4 यदि किसी कारणवश भाग खुदरा समूह की स्वीकृति को निरस्त किया जाता है तो भाग थोक अनुज्ञापत्र स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।
4. अनुज्ञापत्रों का प्रारूप एवं शर्तें :-

भाग के खुदरा एवं थोक विक्रय हेतु जारी किये जाने वाले अनुज्ञापत्रों के प्रारूप एवं उनसे संबंधित शर्तों साथ में संलग्न है।

5. अनुज्ञा फीस के अतिरिक्त देय ड्यूटी, फीस तथा अन्य कर प्रभार आदि का भुगतान :-

निविदादाता की निविदा स्वीकृत होने पर उसे अनुज्ञा फीस के अतिरिक्त अनुज्ञा पत्रों की शर्तानुसार तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 तथा इसके अन्तर्गत बने नियमों एवं इनमें समय समय पर हुये एवं होने वाले संशोधनों एवं अधिसूचनाओं/आदेशों के अनुसार देय ड्यूटी, फीस एवं अन्य प्रभार अगर कोई हो, का अलग से भुगतान निर्धारित समय में करना होगा।

6. निविदा प्रस्तुत करने के लिये पात्रता :-

6.1 एकल व्यक्ति के द्वारा निविदा प्रस्तुत की जा सकती है।

6.2 व्यक्तियों के समूह के नाम से भी निविदा प्रस्तुत की जा सकती है। व्यक्तियों के समूह के रूप में निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में व्यक्तियों के समूह में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के नाम, पता व पूर्ण विवरण अंकित करना आवश्यक होगा। व्यक्तियों के समूह में सम्मिलित समस्त व्यक्ति निविदा स्वीकृत होने पर सभी अनुज्ञाधारी कहलायेंगे एवं वे संयुक्त तथा पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे। ऐसे समूह में सम्मिलित व्यक्ति आयकर विभाग में प्रस्तुत की जाने वाली सूची से भिन्न नहीं होंगे।

6.3 सीमित दायित्व भागीदारी के नाम से भी निविदा प्रस्तुत की जा सकती है। सीमित दायित्व भागीदारी के रूप में निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में भागीदारी में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के नाम, पता व पूर्ण विवरण अंकित करना आवश्यक होगा। सीमित दायित्व भागीदारी के नाम से निविदा स्वीकृत किये जाने की स्थिति में भागीदारी में सम्मिलित सभी व्यक्ति अनुज्ञा फीस की पूर्ति के लिये संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे। दायित्वों के उनके आपसी बंटवारे संबंधी उनकी आंतरिक व्यवस्था से विभाग को कोई सरोकार नहीं रहेगा। ऐसे भागीदारी में सम्मिलित व्यक्ति, अनुज्ञाधारियों द्वारा आयकर विभाग में प्रस्तुत की जाने वाली सूची से भिन्न नहीं होंगे। अनुज्ञापत्र में सम्मिलित साझेदारी फर्म के किसी भी साझेदार के अनुज्ञापत्र की अवधि में साझेदारी फर्म से अलग हो जाने पर अनुज्ञापत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा एवं अनुज्ञाधारी की जमा समस्त प्रकार की राशि (अमानत राशि, धरोहर राशि, बैंक गारन्टी इत्यादी) जब्त सरकार हो जायेगी।

6.4 साझेदारी फर्म के नाम से भी निविदा प्रस्तुत की जा सकती है। साझेदार फर्म के नाम से निविदा दिये जाने की स्थिति में समस्त साझेदारों के नाम, पता व पूर्ण विवरण अंकित करना आवश्यक होगा तथा पार्टनरशिप डीड संलग्न करना होगा। सभी साझेदारों को निविदा स्वीकृत हो जाने के बाद जारी किये जाने वाले अनुज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। सभी साझेदार अनुज्ञा फीस एवं अन्य देय शुल्क इत्यादी जमा कराने के लिए संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे। अनुज्ञा पत्र की अवधि तक साझेदारी फर्म से साझेदार अपना नाम वापस नहीं ले सकेंगे। अनुज्ञापत्र में सम्मिलित साझेदारी फर्म के किसी भी साझेदार के अनुज्ञापत्र की अवधि में साझेदारी फर्म से अलग हो जाने पर अनुज्ञापत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा एवं अनुज्ञाधारी की जमा समस्त प्रकार की राशि (अमानत राशि, धरोहर राशि, बैंक गारन्टी इत्यादी) जब्त सरकार हो जायेगी।

- 6.5 कम्पनी द्वारा भी निविदा प्रस्तुत की जा सकती है। कम्पनी द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर सभी निदेशक का संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से असीमित उत्तरदायित्व होगा। कम्पनी के लिये निम्न अतिरिक्त सूचनाएं देना भी अनिवार्य होगा:—
- (1) कम्पनी का मेमोरेन्डम ऑफ एसोशियेशन एवं आर्टिकल ऑफ एसोशियेशन की प्रमाणित प्रति।
 - (2) निदेशको के नाम व पूर्ण पते।
 - (3) गत दो वर्षों के अंतिम लेखों की अंकेक्षित प्रति।
- 6.6 भारतीय संविदा अधिनियम के अन्तर्गत संविदा करने के लिये योग्य व्यक्ति को ही निविदा प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।
- 6.7 केन्द्र/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम/अर्द्ध शासकीय स्वायत्तशासी संस्थान के अधिकारी/कर्मचारी निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।
- 6.8 निविदादाता के विरुद्ध किसी प्रकार की आबकारी बकाया होने एवं वर्ष 2019-20 के अनुज्ञाधारियों के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2019 तक की किसी प्रकार की आबकारी बकाया होने की स्थिति में उनके द्वारा देय समस्त राशियां जमा कराने पर ही प्रस्तुत निविदाओं पर विचार किया जा सकेगा।

7. निविदा में प्रस्तावित समूह का नाम तथा अनुज्ञा फीस :-

- 7.1 निविदा में प्रस्तावित समूह का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जावे।
- 7.2 निविदादाता द्वारा एक से अधिक समूह के लिये भी निविदा प्रस्तुत की जा सकती है परन्तु प्रत्येक समूह के लिये पृथक-पृथक निविदा प्रपत्र पर निविदा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- 7.3 संबंधित भाग समूह के लिये प्रस्तावित अनुज्ञा फीस उस समूह के भाग पत्ति/भाग घोटा (माजुम, बुकनी, गुलकन्द आदि सहित) की खुदरा दूकानों के लिये निर्धारित आरक्षित राशि से कम होने पर विचार योग्य नहीं होगी।
- 7.4 प्रस्तावित समूह के लिये निविदा प्रपत्र में वही राशि अंकित की जावे जो निविदादाता दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिये अनुज्ञा फीस के रूप में देना चाहता है।

8. निविदा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना :-

- 8.1 निविदा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करनी होगी। फैंक्स अथवा अन्य किसी प्रकार से निविदा प्रस्तुत नहीं की जा सकेगी।
- 8.2 निविदा प्रपत्र स्याही से भरा जावे एवं निविदा राशि स्पष्ट रूप से अंको एवं शब्दों में लिखी जावे। अंको एवं शब्दों में लिखी जाने वाली राशि एक समान होनी चाहिये। अंक व शब्द में अन्तर की स्थिति में शब्दों में लिखी राशि मान्य होगी।
- 8.3 निविदादाता(ओं) को निविदा प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर अपना पूरा नाम, पिता/पति का नाम, आयु, पूरा पता संबंधी विवरण का उल्लेख करना होगा।

- 8.4 निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों को निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करने होंगे।
- 8.5 निविदा पर किसी प्रकार की कांट छांट नहीं की जावे और न ही अक्षरों के उपर लिखा जावे। अगर किसी गलती को ठीक करना है तो अलग से लिखकर हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया जावे।

9. निविदा के साथ अमानत राशि (Earnest Money)

निविदादाता को प्रस्तावित समूह के लिये परिशिष्ट "अ" में वर्णित संबंधित समूह के सामने अंकित अमानत राशि (Earnest Money) जमा कराना आवश्यक होगा। अमानत राशि आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/ ई-ग्रास चालान/नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कराई जाकर प्रमाण स्वरूप बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/ई-ग्रास चालान संलग्न करना होगा। नेट बैंकिंग/ई-ग्रास चालान के माध्यम से जमा कराई जाने वाली अमानत राशि बजट मद "8443-00-103-00-00- प्रतिभूति जमा (Security Deposit), बिना ब्याज वाली "प्रतिभूति जमा" में जमा करायी जानी है। निविदा के साथ वांछित अमानत राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. निविदा प्रस्तुत करने का स्थान व समय :-

निविदा निर्धारित प्रपत्र तथा बन्द लिफाफे में दिनांक 03.03.2020 को दोपहर 3.00 पी.एम तक कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर में पहुंच जानी चाहिये। लिफाफे पर "भाग समूह के लिये निविदा" लिखना होगा। लिफाफे पर समूह का नाम एवं प्रस्तावित राशि का अंकन नहीं किया जावे। बंद निविदा व्यक्तिगत रूप से तथा रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित की जा सकती है। व्यक्तिगत रूप से निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में निविदा आबकारी आयुक्त कार्यालय के भू-तल पर स्थित ब्लाक "अ" प्रशासनिक अधिकारी के कक्ष में रखे गये बॉक्स में डालनी होगी। डाक द्वारा प्रेषित निविदा निर्धारित स्थान, दिनांक व समय तक प्राप्त न होने पर निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा। निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त निविदाएं दिनांक 03.03.2020 को सायं 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

11. एक बार निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् वह अन्तिम होगी यानि उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा एवं नहीं निविदा वापिस ली जा सकेगी।

12. निविदादाता द्वारा प्रस्तावित कोई शर्त अथवा अनुरोध मान्य नहीं होगा :-

निविदादाता द्वारा प्रस्तावित किसी प्रकार की कोई शर्त मान्य नहीं होगी। निविदा के विस्तृत निर्देशों एवं शर्तों तथा अनुज्ञापत्र की शर्तों के विपरीत किसी प्रकार का कोई अनुरोध भी मान्य/स्वीकार योग्य नहीं होगा।

13. निविदा स्वीकृत करने का अधिकार :-

आबकारी आयुक्त को किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में निविदादाता कोई आपत्ति करने एवं क्षतिपूर्ति पाने का हकदार नहीं होगा।

14. निविदा स्वीकृति की सूचना :-

14.1 जिस निविदादाता की निविदा अनुमोदित की जावेगी, उसके लिये स्वीकृति आदेश पृथक से जारी किया जायेगा।

14.2 निविदा स्वीकृत की सूची आबकारी आयुक्त अथवा अधीनस्थ कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी/विभागीय वेबसाईट <https://www.rajexcise.gov.in> पर अपलोड की जावेगी। निविदादाता को निविदा की स्वीकृति नोटिस बोर्ड पर चस्पा/<https://www.rajexcise.gov.in> विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की दिनांक से जो भी पहले हो सूचित किया हुआ माना जायेगा।

15. धरोहर राशि जमा कराना (Security Deposit)

15.1 धरोहर राशि स्वीकृत अनुज्ञा फीस की 33.33 प्रतिशत होगी। निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को निविदा स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा/<https://www.rajexcise.gov.in> विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने की दिनांक से (चस्पा दिनांक को छोड़कर) 5 दिवस या ठेका अवधि प्रारंभ होने से पूर्व, जो भी पहले हो, स्वीकृत अनुज्ञा फीस की 17 प्रतिशत के बराबर धरोहर राशि (प्रस्तुत अमानत राशि को समायोजित करते हुए) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ई-ग्रास चालान/नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करानी होगी। स्वीकृत अनुज्ञा राशि की 16.33 प्रतिशत के बराबर शेष धरोहर राशि स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा/<https://www.rajexcise.gov.in> विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने की दिनांक से 10 दिवस अथवा ठेका प्रारंभ होने से पूर्व, जो भी पहले हो, के अन्दर अन्दर जमा करानी आवश्यक होगी।

15.2 धरोहर राशि संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ई-ग्रास चालान के माध्यम से जमा करानी होगी।

15.3 धरोहर राशि विलंब से प्रस्तुत करने पर विलंब अवधि का 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा, परन्तु ब्याज के भुगतान की शर्त के आधार पर निविदादाता को धरोहर राशि जमा कराने की निर्धारित समय सीमा में कोई छूट प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। 17 प्रतिशत धरोहर राशि (प्रस्तुत अमानत राशि को समायोजित करते हुए) के लिये विलंब अवधि की गणना निविदा स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा/विभागीय वेबसाईट <https://www.rajexcise.gov.in> पर अपलोड किये जाने की दिनांक को छोड़कर 5 दिवस के बाद से या ठेका अवधि प्रारंभ होने की दिनांक से, जो भी पहले हो, की जावेगी। शेष 16.33 प्रतिशत धरोहर राशि के लिये विलंब अवधि की गणना निविदा स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा/विभागीय वेबसाईट <https://www.rajexcise.gov.in> पर अपलोड किये किये जाने की दिनांक को छोड़कर 10 दिवस के बाद से या ठेका अवधि प्रारंभ होने की दिनांक से, जो भी पहले हो, की जायेगी।

15.4 अनुज्ञाधारी द्वारा स्वीकृति के अनुसार वर्ष 2020-2021 हेतु देय अनुज्ञा शुल्क के 66.67 प्रतिशत के बराबर अनुज्ञा शुल्क की राशि मय ब्याज (यदि कोई हो) जमा करवा देने तथा धरोहर राशि जब्त नहीं होने या अन्यथा समायोजित नहीं किये जाने की स्थिति में जमा

धरोहर राशि को वर्ष 2020–2021 की शेष अवधि की अंतिम मासिक किश्तो पेटे माह मार्च 2021 में समायोजित किया जा सकेगा। जमा धरोहर राशि को अंतिम किश्तो पेटे समायोजित करने पर अंतिम किश्तो की राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

16. बैंक गारंटी प्रस्तुत करना :-

- 16.1** निविदा स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की दिनांक से (चस्पा दिनांक को छोड़कर) 10 दिवस में या ठेका अवधि प्रारंभ होने से पूर्व, जो भी पूर्व में हो, निविदादाता को स्वीकृत अनुज्ञा फीस के 10 प्रतिशत के बराबर अनुसूचित बैंक की गारंटी विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- 16.2** बैंक गारंटी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी की हुई होनी चाहिये। बैंक गारंटी, गारंटी अवधि के दौरान अखण्डनीय (Irrevocable) रहेगी तथा किसी भी आधार पर बैंक अथवा अनुज्ञाधारी उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकेगा। आबकारी विभाग द्वारा बैंक गारंटी के भुगतान की मांग (Invoke) किये जाने पर बैंक को इसका तुरन्त बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ई-ग्रास चालान (विभागीय राजस्व प्राप्ति मद 0039) के माध्यम से भुगतान करना होगा। बैंक अथवा अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं कर सकेगा।
- 16.3** बैंक गारंटी विलंब से प्रस्तुत करने पर विलंब अवधि का 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा, परन्तु ब्याज के भुगतान की शर्त के आधार पर निविदादाता को बैंक गारंटी प्रस्तुत कराने की निर्धारित समय सीमा में कोई छूट प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। विलंब अवधि की गणना निविदा स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा/विभागीय वेबसाईट <https://www.rajexcise.gov.in> पर अपलोड किये किये जाने की दिनांक को छोड़कर 10 दिवस के बाद से या ठेका अवधि प्रारंभ होने की दिनांक से, जो भी पहले हो, की जायेगी।
- 16.4** अनुज्ञाधारी बैंक गारंटी के एवज में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ई-ग्रास चालान/नेट बैंकिंग के माध्यम से राशि जमा करवाने पर, उनकी जमा राशि अन्यथा समायोजित नहीं किये जाने की स्थिति में माह दिसम्बर 2020 की मासिक किश्त पेटे माह मार्च 2021 में समायोजित की जा सकेगी। इस प्रकार जमा राशि का समायोजन किये जाने पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

17. अनुज्ञापत्र जारी किया जाना :-

किसी भी निविदादाता की निविदा/प्रस्ताव विभाग द्वारा स्वीकृत होने पर उसे आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 36 के अन्तर्गत दिये गये स्पष्टीकरण अनुसार अनुज्ञाधारी माना जायेगा परन्तु वांछित धरोहर राशि जमा कराने, बैंक गारंटी प्रस्तुत करने, अन्य आवश्यक फीस आदि जमा कराने व आवश्यक दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने के पश्चात ही विधिवत अनुज्ञा पत्र जारी किये जायेगे।

18. अनुज्ञा फीस एवं अन्य देय राशियों का भुगतान -

- 18.1** अनुज्ञा फीस की राशि समान मासिक किश्तो में जमा करनी होगी। अनुज्ञा फीस की मासिक किश्तो का भुगतान प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस तक जमा करना आवश्यक होगा। मासिक किश्त की राशि को उसी माह के अंतिम कार्य दिवस तक जमा नहीं कराने पर इसे निविदा प्रपत्र, निविदा के संबंध में विस्तृत निर्देश एवं शर्तों तथा अनुज्ञापत्रों की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा। विलंब से जमा करायी गयी अनुज्ञा फीस पर राजस्थान

आबकारी अधिनियम 1950 के अनुसार ब्याज भी वसूली योग्य होगा। मासिक किश्तो को संबंधित माह के अंतिम कार्य दिवस तक जमा नहीं कराने पर मासिक किश्त की शेष राशि पर उसी माह की 1 तारीख से ब्याज की गणना की जायेगी। अनुज्ञा फीस में रही कमी एवं अन्य देय राशियां मय ब्याज, यदि कोई हो, निविदादाता/अनुज्ञाधारी द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि, विभाग के पास जमा उनकी किसी भी राशि से, अनुज्ञाधारी द्वारा प्रस्तुत की गयी बैंक गारंटी से, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत तथा भू राजस्व की बकाया की भांति उनकी समस्त चल-अचल संपत्तियों, वारिसों/उत्तराधिकारियों से वसूल की जा सकेंगी। निविदादाता/अनुज्ञाधारी की संपत्तियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा। प्रथम प्रभार का अंकन अनुज्ञाधारी की स्वामित्व की परिसम्पत्तियों के मूल रेकार्ड/राजस्व रेकार्ड में अंकन करया जावेगा।

18.2 भांग थोक विक्रय की अनुमति दिये जाने पर स्वीकृति दिनांक से 10 दिवस में वार्षिक अनुज्ञा फीस की राशि रूपये 10,000/- एक मुश्त भुगतान करनी होगी।

19. धरोहर राशि जमा नहीं कराने/बैंक गारंटी प्रस्तुत नहीं करने पर जारी स्वीकृति को निरस्त करना :-

अनुज्ञाधारी द्वारा निर्धारित अवधि में वांछित धरोहर राशि जमा नहीं कराने एवं/अथवा वांछित राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत नहीं करने पर आबकारी आयुक्त द्वारा उनके पक्ष में जारी की गयी स्वीकृति को निरस्त किया जावेगा एवं जमा राशि (प्रस्तुत अमानत राशि को सम्मिलित करते हुए) स्वतः ही जब्त हो जायेगी। इसके लिये अलग से कोई नोटिस जारी नहीं किया जावेगा।

20. अनुज्ञा फीस एवं अन्य देय राशियां जमा नहीं कराने, निविदा प्रपत्र तथा अनुज्ञा पत्रों की शर्तों आदि का उल्लंघन करने पर जारी स्वीकृति/अनुज्ञापत्र निरस्त करना :-

अनुज्ञा फीस की मासिक किश्तो एवं अन्य देय राशियों को निर्धारित समय पर जमा नहीं कराने, निविदा प्रपत्र, निविदा के संबंध में विस्तृत निर्देश एवं शर्तों तथा अनुज्ञापत्रों की शर्तों की पालना नहीं करने तथा अन्य कोई उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर आबकारी विभाग को निविदादाता/अनुज्ञाधारी के पक्ष में जारी की गयी स्वीकृति/अनुज्ञापत्र को निरस्त कर उनके द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि (अमानत/अन्य जमा राशि सहित) को जब्त की जायेगी। अनुज्ञाधारी के विरुद्ध कोई अनुज्ञाराशि या अन्य कोई देयता रहती है तो उसके द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी से, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत तथा भू राजस्व की बकाया की भांति उनकी समस्त चल-अचल संपत्तियों से, उनके वारिसों/उत्तराधिकारियों से वसूल की जा सकेंगी।

21. भांग पत्ति, भांग घाटा की अतिरिक्त दूकाने :-

निविदा स्वीकृत किये जाने के उपरांत अनुज्ञाधारी के निवेदन पर समूह क्षेत्र में भांग पत्ति, भांग घाटा (माजुम, बुकनी, गुलकन्द आदि सहित) की सम्मिलित दूकानों की 5 प्रतिशत तक अतिरिक्त दूकान/दूकाने आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत की जा सकेंगी। इस हेतु प्रति दूकान निम्नानुसार राशि जमा करानी होगी-

क्र. सं.	अतिरिक्त दूकान का क्षेत्र	जमा करायी जाने वाली राशि (रूपयों में)
1	एक लाख से अधिक आबादी वाले शहर	10,000/-
2	अन्य स्थान	5,000/-

22. शुष्क दिवसों की पालना :-

वर्ष 2020-2021 हेतु नियत 5 शुष्क दिवसों (गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महावीर जयंति, गांधी जयंति एवं 30 जनवरी) पर दूकाने बंद रखनी होगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार/आबकारी आयुक्त/अनुज्ञापत्र स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा किसी विशेष अवसर पर या विशेष कारणवश भांग की दूकाने बंद रखने या उनके विक्रय के समय में परिवर्तन किया जा सकेगा। ऐसी दशा में अनुज्ञाधारी को इसके लिये अनुज्ञा फीस में कोई कमी नहीं की जायेगी एवं किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

23. अनुज्ञाधारी किराये के भवन/दुकान में अपनी भांग दुकान संचालित करता है तो ऐसी स्थिति में भवन/दुकान का किराया नामा सक्षम प्राधिकारी के द्वारा रजिस्टर्ड होना अनिवार्य होगा।

24. अन्य कर

वर्तमान में प्रचलित नियमों के अन्तर्गत भांग पर 5% की दर से वस्तु एवं सेवा कर देय है। केन्द्र, राज्य सरकार व स्थानीय निकाय द्वारा समय समय पर लागू कर/अधिभार भी अनुज्ञाधारी द्वारा अलग से देय होगा।

25. समूह के क्षेत्र, निविदा एवं निविदा की शर्तों या अनुज्ञापत्रों की शर्तों के संबंध में किसी प्रकार के संशय अथवा अस्पष्टता उत्पन्न होने तथा किसी तकनीकी त्रुटि, विषमता, लोप आदि की स्थिति के संबंध में आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा एवं अनुज्ञाधारी उससे बाध्य रहेगा।

26. न्यायालय का क्षेत्राधिकार

निविदा के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र उदयपुर शहर क्षेत्र स्थित न्यायालय होगा।

(To be issued by the scheduled bank having its branch office in the state of Rajasthan on non-judicial stamp of proper value as per the stamp and registration Act in force)

PROFORMA OF BANK GUARANTEE

Bank guarantee No.-----

Dated-----

(1) Whereas the Governor of the state of Rajasthan (hereinafter called "the Government") having agreed to grant licence (s) to Sh./M/s----- (hereinafter called "the said licensee (s)") after complying with certain prerequisite conditions by the licensee as per sanction letter no.----- dated----- issued in favour of the licensee and as per the terms and conditions of the licence to be issued (hereinafter called "the said licence(s)") for retail sale of Bhang and wholesale in the area of Bhang Group----- at licence fee of Rs----- for the period of 01-4-2020 to 31-3-2021 And whereas under the terms and conditions of sanction the said licensee (s) is required to submit Bank guarantee equal to 10% of licence fee.

We----- (hereinafter referred to as "the Bank") (indicate the name of Bank) at the request of ----- (licensee(s)) do hereby undertake to pay to the government not exceeding Rs----- (Rs.----- only) against any breach of terms and conditions of said licences or non fulfillment or violation of any terms and condition of the said licence (s) or any amount due against the said licensee.

2. We----- do hereby undertake to pay the amounts (indicate the name of Bank) due and payable under this guarantee immediately, without any demur or protest, merely on a demand from the District Excise Officer or any higher authority of the excise department on behalf of government stating that the amount claimed is due by way of any breach of terms and condition of said licences or non fulfillment or violation of any terms and conditions of the said licences or any amount due against the said licensee or by reason of failure of the licensee (s) to comply with the condition of said licences. Any such demand made on the Bank shall be conclusive, absolute and unequivocal as.

regards the amount due and payable by the Bank under this guarantee. However, the bank's liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs----- (Rs----- only).

3. We----- do hereby undertake to pay to the (indicate the name of Bank) Government an amount so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the Licensee (s) in any suit or proceeding pending

before any Court or Tribunal relating thereto, the Bank's liability under this present being absolute, unequivocal and unconditional. The payments so made by the Bank under this guarantee shall be valid discharge of our liability for payment there under and the Licensee (s) shall have no claim against the Bank for making such payments.

4. We-----further agree that the guarantee (indicate the name of Bank) herein, above contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said licences and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the Government under or by virtue of the said licences have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till the District Excise Officer----- certifies that the terms & conditions of the said licences have been fully and properly carried out by the said licensee (s) and accordingly discharges this guarantee, unless a demand or claim under this guarantee is made on the Bank in writing on or before the 30th June 2020, the Bank shall be discharged from all liabilities under this guarantee thereafter. However if the last date of expiry of the bank guarantee happens to be a holiday of the Bank, the Bank guarantee shall expire on the close of the next working day.
5. We -----further agree that the Government shall (indicate the name of Bank) have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner the Bank's obligation hereunder to vary any of the terms & conditions of the said licences or to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by the Government against the said licensee (s) and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the said licence and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation or extension being granted to the said licensee (s) or for any forbearance, act or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the said licensee (s) or by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have effect of so relieving us.
6. This guarantee herein contained would come in to force from the date of issue and will not be discharged/vitiated or affected due to the change in the Constitution of the Bank or the licensee (s) or addition of names of the other persons in the licence(s).
7. We-----undertake not to revoke this guarantee (indicate the name of Bank) during its currency except with the previous consent of the Government in writing.
8. The Bank guarantee shall be payable at the District head quarter branch ----- in the State of Rajasthan.

9. The Bank has power to issue this guarantee in favour of the Government and the undersigned has full power to do so under power of Attorney dated ----- granted to him by the Bank.

10. In witnessth I hereby -----son of-----
(Full name)

Designation----- Branch----- constituted attorney of the said Bank has set my signature and Bank seal on this guarantee which is being issued on non-judicial stamp of proper value as per Stamp Act prevailing in the State of -----executed this day----- of -----year 2020.

For and on behalf of the Bank (Indicate the Bank)

(Signature & Designation with seal)

भाग खुदरा विक्रय अनुज्ञापत्र (लाईसेंस) की शर्तें

1. राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों तथा नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट 1985 एवं राजस्थान नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज रूल्स, 1985 आदि की पालना

अनुज्ञाधारी राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 (राजस्थान अधिनियम संख्या-2, 1950) एवं उसके अन्तर्गत बने राजस्थान आबकारी नियम, 1956 तथा नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट 1985, राजस्थान नारकोटिक ड्रग्स एवं सब्सटेन्सेज रूल्स 1985 एवं निविदा, निविदा के साथ संलग्न विस्तृत निर्देश एवं शर्तों, अनुज्ञाधारियों के पक्ष में जारी की गई स्वीकृति में वर्णित एवं अनुज्ञापत्र में वर्णित शर्तों तथा समय-समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों से पाबन्द रहेगा।

2. अनुज्ञा फीस एवं अन्य राशियों तथा उनका भुगतान :-

- 2.1 अनुज्ञाधारी को वर्ष 2020-2021 (दिनांक 01.4.2020 से 31.3.2021 तक) की अवधि के लिए अनुज्ञापत्र हेतु निर्धारित अनुज्ञा फीस रूपयें..... अंको में) रूपयें..... (शब्दों में) का भुगतान करना होगा।
- 2.2 अनुज्ञाधारी अपने थोक अथवा राज्य में स्थित अन्य थोक अनुज्ञाधारी से खुदरा में भाग का स्थानान्तरण/क्रय जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी परमिट के आधार पर ही कर सकेगा एवं उसे इस हेतु नियमानुसार परमिट फीस अदा करनी होगी।
- 2.3 उपर्युक्त राशियों के अलावा यदि कोई फीस, कर, अन्य प्रभार आदि, कोई देय होगा तो उसका भुगतान अनुज्ञाधारी को अलग से करना होगा।
- 2.4 वार्षिक अनुज्ञा फीस बराबर मासिक किश्तों में जमा राज करनी होगी। प्रत्येक माह की अनुज्ञा फीस की किश्त का भुगतान उसी माह के अंतिम कार्य दिवस तक जमा करना होगा।
- 2.5 विलम्ब से जमा करायी गयी अनुज्ञा फीस पर राजस्थान आबकारी अधिनियम के अनुसार ब्याज भी वसूली योग्य होगा।

3. अनुज्ञापत्र की वैधानिक स्थिति :-

- 3.1 जिस पक्षकार के पक्ष में अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया है वे व्यक्ति ही अनुज्ञाधारी की श्रेणी में माने जायेंगे तथा वे ही इस अनुज्ञापत्र के तहत समूह क्षेत्र में भाग की बिक्री करने हेतु अधिकृत होंगे।
- 3.2 अनुज्ञाधारी, अनुज्ञापत्र देने वाले अधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञापत्र हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा। अनुज्ञापत्र की अवधि में अनुज्ञाधारी की मृत्यु हो जाने पर उसके पात्र वारिसान द्वारा एक माह की अवधि में अपने नाम पर अनुज्ञापत्र

स्थानान्तरण करवाने हेतु संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से आवेदन करना होगा। अनुज्ञापत्र विधिवत स्थानान्तरण नहीं कराने पर दुकानों का संचालन अवैध होगा एवं ऐसी स्थिति में अनुज्ञापत्र निरस्त किया जाकर समस्त जमा राशि जब्त सरकार की जावेगी। एवं अवैध संचालन के लिये वैधानिक कार्यवाही हेतु उत्तरदायित्व होंगे। किसी समूह में एक से अधिक अनुज्ञाधारी होने की स्थिति में यदि किसी अनुज्ञाधारी की मृत्यु हो जाती है तो शेष अनुज्ञाधारी अनुज्ञापत्र की शर्तों से यथावत् बाध्य रहेंगे।

3.3 “व्यक्तियों के समूह” के नाम पर अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जाने की स्थिति में स्वीकृत “व्यक्तियों के समूह” में सम्मिलित समस्त व्यक्ति सह-अनुज्ञाधारी की श्रेणी में आयेंगे एवं अनुज्ञापत्र की शर्तों से बाध्य होंगे। सभी सह-अनुज्ञाधारी आबकारी बकाया एवं अन्य दायित्वों के लिए संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे। दायित्वों को उनके आपसी बंटवारे संबंधी उनकी आन्तरिक व्यवस्था से विभाग को कोई सरोकार नहीं रहेगा। ऐस “व्यक्तियों के समूह” में सम्मिलित व्यक्ति, अनुज्ञाधारी द्वारा आयकर विभाग में प्रस्तुत की जाने वाली सूची से भिन्न नहीं होंगे।

4. धरोहर राशि एवं बैंक गारन्टी :-

4.1 धरोहर राशि: धरोहर राशि स्वीकृत अनुज्ञा फीस की 33.33 प्रतिशत होगी। निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को निविदा स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की दिनांक से (चस्पा दिनांक को छोड़कर) 5 दिवस या ठेका अवधि प्रारंभ होने से पूर्व, जो भी पहले हो, स्वीकृत अनुज्ञा फीस की 17 प्रतिशत के बराबर धरोहर राशि (अमानत राशि सहित) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ई-ग्रास चालान/नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करानी होगी। स्वीकृत अनुज्ञा राशि की 16.33 प्रतिशत के बराबर शेष धरोहर राशि स्वीकृति की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने की दिनांक से 10 दिवस अथवा ठेका प्रारंभ होने से पूर्व, जो भी पहले हो, जमा करानी आवश्यक होगी। अनुज्ञाधारी द्वारा स्वीकृति के अनुसार वर्ष 2020-2021 हेतु देय अनुज्ञा शुल्क के 66.67 प्रतिशत के बराबर अनुज्ञा शुल्क की राशि मय ब्याज (यदि कोई हो) जमा करवा देने अथवा धरोहर राशि जब्त नहीं होने या अन्यथा समायोजित नहीं किये जाने की स्थिति में जमा धरोहर राशि को वर्ष 2020-2021 की शेष अवधि की अन्तिम मासिक किश्तों पेटे माह मार्च, 2021 में समायोजित किया जा सकेगा। जमा धरोहर राशि को अन्तिम किश्तों पेटे समायोजित करने पर अन्तिम किश्तों की राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।

4.2 बैंक गारन्टी: बैंक गारंटी आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुसूचित बैंक द्वारा जारी की हुई होनी चाहिये। बैंक गारंटी, गारंटी अवधि के दौरान अखण्डनीय (Irrevocable) रहेगी तथा किसी भी आधार पर बैंक अथवा अनुज्ञाधारी उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकेगा। आबकारी विभाग द्वारा बैंक गारंटी के भुगतान की मांग (Invoke) किये जाने पर बैंक को इसका तुरन्त बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ई-ग्रास चालान (विभागीय राजस्व प्राप्ति मद 0039) के माध्यम से भुगतान करना होगा। बैंक अथवा अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं कर सकेगा।

5. दुकानों की अवस्थिति :-

5.1 अनुज्ञाधारी अनुज्ञा के लिए निर्धारित क्षेत्र में भाग की सम्मिलित दुकानों की संख्या तक किसी भी स्थान पर नियमानुसार दुकान लगा सकेगा परन्तु इसके लिये अपने क्षेत्र के जिला आबकारी अधिकारी से दुकानों की अवस्थिति स्वीकृत करानी होगी। बिना स्वीकृति के अनुज्ञाधारी दुकानों का संचालन नहीं कर सकेगा।

- 5.2 अनुज्ञाधारी दुकानें प्रारम्भ करने से पूर्व दुकानों की अवस्थिति की स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेजों सहित, सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा। तदुपरान्त आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस में जिला आबकारी अधिकारी अपने निर्णय से अनुज्ञाधारी को अवगत करायेगा। उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर जिला आबकारी अधिकारी अनुज्ञाधारी द्वारा चाही गयी अवस्थिति पर दुकान लगाने की स्वीकृति देने से मना कर सकता है। ऐसी स्थिति में अनुज्ञाधारी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा अनुज्ञा फीस अथवा अन्य देय राशियों में छूट पाने का हकदार नहीं होगा। साथ ही वह अन्य स्थान पर नियमानुसार दुकान स्वीकृति कराने हेतु आवेदन जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा।
- 5.3 समूह में सम्मिलित दुकानों की संख्या तक दुकानों की अवस्थिति स्वीकृत नहीं कराने अथवा किसी कारणवश उन्हें संचालित नहीं करने की स्थिति में अनुज्ञाधारी अनुज्ञा फीस एवं अन्य देय राशियों में किसी भी प्रकार की छूट पाने का हकदार नहीं होगा।
- 5.4 अनुज्ञाधारी को अपने समूह की सीमा के 2.5 किलोमीटर शुष्क क्षेत्र (Dry zone) में कोई दुकान संचालन करने की अनुमति नहीं होगी।
- 5.5 अनुज्ञाधारी भाग दुकान अस्पताल, महाविद्यालय एवं सीनियर हायर सैकण्डरी, शिक्षण संस्थानों, सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थानों, सिनेमा हॉल और नाट्य गृह से 200 मीटर की परिधि में नहीं लगा सकेगा, परन्तु एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में धार्मिक स्थानों से दूरी संबंधी प्रतिबन्ध जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी सूची में उल्लेखित धार्मिक स्थानों पर लागू होगा। महाविद्यालय, सीनियर हायर सैकण्डरी शिक्षा संस्थानों एवं सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों को छोड़कर अन्य विद्यालयों के निकट की दुकानों के लिए यह प्रतिबन्ध रहेगा कि शिक्षा संस्थान बन्द होने के एक घण्टे बाद ही दुकान खोली जा सकेगी। इस बाबत राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के प्रावधान एवं विभागीय निर्देश अन्तिम होंगे।
- 5.6 अनुज्ञाधारी, फैक्ट्री अथवा श्रमिक व हरिजन बस्ती से 200 मीटर की परिधि में दुकान नहीं लगा सकेगा। हरिजन बस्ती से अभिप्राय ऐसे नगर पालिका वार्ड से होगा जिसमें अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार उस वार्ड की जनसंख्या की 50 प्रतिशत से अधिक है।
- 5.7 माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2016, 31.03.2017, 11.07.2017 एवं 23.02.2018 के अनुसार राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों (National highways and State highways) पर भाग की दुकानों की अवस्थिति के संबंध में निर्धारित प्रतिबन्धित दूरी की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
- 5.8 अनुज्ञाधारी को अपनी दुकान के दरवाजे पर 125 X 75 से. मी. आकार का एक साईन बोर्ड जिस पर अनुज्ञाधारी का नाम व विवरण, दुकान के खुलने व बन्द होने का समय आदि का उल्लेख हों, लगाना होगा। भाग दुकानों का केवल एक ही दरवाजा सार्वजनिक सड़क पर होगा तथा इस एक दरवाजे के अतिरिक्त कोई खिड़की आला या दीवार में छेद इत्यादि नहीं होगा। दरवाजे के अलावा पूरी दुकान पुख्ता पक्की होगी। आमतौर से भाग की दुकान इस प्रकार होनी चाहिए कि दरवाजे के बाहर से भीतर के सब हालात स्पष्टतया दिखाई दे सके। जिस कमरे में दुकान होगी उसमें अनुज्ञाधारी एवं उसके अधिकृत नौकर के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को नहीं रख सकेगा। अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहक को किसी

प्रकार का प्रलोभन नहीं दे सकेगा, जैसे कि गाना, नाच व रेडियो/टेलीविजन का कार्यक्रम इत्यादि और न किसी प्रकार का विज्ञापन ही इस विषय पर कर सकेगा।

- 5.9 कानून व व्यवस्था की दृष्टि से किसी दुकान की अवस्थिति वर्जित स्थान पर होने की दशा में अगर उस दुकान को बन्द करवाया जाता है तो समक्ष अधिकारी की अनुमति से अनुज्ञाधारी उस समूह क्षेत्र में अन्यत्र स्थान पर नियमानुसार दुकान खोल सकेगा परन्तु ऐसा करने पर भांग की अनुज्ञा फीस की पूर्ति में किसी प्रकार की छूट अथवा क्षति पूर्ति का हकदार नहीं होगा।
- 5.10 अनुज्ञाधारी नियमानुसार राशि का भुगतान कर जिला आबकारी अधिकारी की अनुमति से समूह में स्वीकृत करायी गयी दुकान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर सकेगा।

6. दुकानों का संचालन :-

- 6.1. अनुज्ञाधारी विभाग द्वारा निर्धारित समय प्रातः 8.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक दुकाने खुली रख सकेगा। परन्तु आबकारी आयुक्त द्वारा बिना पूर्व सूचना के समय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।
- 6.2 वर्ष 2020-2021 हेतु नियत 5 शुष्क दिवसों पर एवं भविष्य में राज्य सरकार/आबकारी आयुक्त द्वारा नियत किये जाने वाले शुष्क दिवसों पर दुकाने बन्द रखनी होगी। शुष्क दिवसों की सूचना अनुज्ञाधारी सम्बन्धित आबकारी निरीक्षक से प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त दुकानों के बन्द रखने व बिक्री समय पर जो नियंत्रण समय-समय पर लगाये जायेंगे उनका पालन भी अनुज्ञाधारी को करना होगा और इसके लिये उसे न तो कोई क्षति पूर्ति दी जायेगी और न अनुज्ञा फीस में ही कोई कमी की जावेगी। यदि अनुज्ञाधारी की दुकाने कानून व व्यवस्था संबंधी कारणों से बन्द रहती है तो भी अनुज्ञा फीस में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी। शुष्क दिवसों की पठनीय सूची दुकान के काउण्टर के पास लगानी होगी।
- 6.3 राज्य सरकार, आबकारी आयुक्त अथवा अनुज्ञापत्र देने वाला अधिकारी अनुज्ञाधारी को बिना नोटिस दिये शुष्क दिवसों के अतिरिक्त किसी विशेष अवसर पर या विशेष कारणवश भांग के विक्रय के समय में परिवर्तन कर सकेगा या दुकान बन्द रखने की आज्ञा दे सकेगा। ऐसी दशा में अनुज्ञाधारी को इसके लिये न तो कोई क्षति पूर्ति दी जायेगी न अनुज्ञा फीस में कोई कमी की जायेगी।
- 6.4 अनुज्ञाधारी अपनी दुकान पर राजकीय [भण्डारगार/अपनी](#) थोक दुकान/अन्य थोक अनुज्ञाधारी से अधिकृत रूप से क्रय की गयी भांग ही विक्रय करेगा। यह भांग वह [भण्डारगार/थोक](#) से तय मार्ग से निर्धारित समयावधि में सुरक्षित अवस्था में लायेगा व परिवहन के समय पास साथ में रखना होगा। अपनी दुकान पर लाई गई भांग को किसी भी अन्य स्थान पर नहीं रखेगा।
- 6.5 लाईसेंस देने वाले अथवा उससे उच्च अधिकारी को अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी महिने में भांग के क्रय/विक्रय पर समुचित नियंत्रण लगा सके। अनुज्ञाधारी इस नियंत्रण के लिये कोई क्षति पूर्ति पाने या अनुज्ञा फीस में कमी कराने का हकदार नहीं होगा।

- 6.6 अनुज्ञाधारी अपनी दुकान पर अधिकृत रूप से लाई गई भांग की ही बिक्री करेगा। आबकारी आयुक्त की अनुमति के बिना अन्य किसी पदार्थ की बिक्री नहीं कर सकेगा।
- 6.7 अनुज्ञाधारी भांग लाने व बेचने के लिए किसी वयस्क एवं पात्र व्यक्ति को सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी की स्वीकृति से ही नौकर रख सकेगा। एक दुकान पर अधिकतम 4 व्यक्ति को ही नौकर रखा जा सकेगा। नौकर नामा विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ऑन लाईन बनाना होगा। नौकर के प्रत्येक काम के लिये अनुज्ञाधारी स्वयं उत्तरदायी होगा। अनुज्ञाधारी की किसी विशेष कारण से अनुपस्थिति की अवस्था में अनुज्ञाधारी के माता, पिता, पत्नि एवं वयस्क पुत्र को इस संबंध में लिखित स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। अनुज्ञाधारी भांग बेचने व लाने के लिये अपनी दुकान पर किसी ऐसे व्यक्ति को नौकर नहीं रख सकेगा जिसे कोई संक्रामक रोग हो या जो आबकारी एवं फौजदारी जुर्म से आदतन अपराधी अथवा वान्टेड हो।
- 6.8 अनुज्ञाधारी को अनुज्ञापत्र की अवधि तक अपनी दुकान नियमित रूप से संचालित रखनी होगी और हर समय स्टॉक में भांग की इतनी मात्रा रखनी होगी जो 15 दिन की बिक्री के लिये पर्याप्त हो। भांग का सारा स्टॉक उसी दुकान पर रखना होगा और उसी दुकान पर बेचना होगा, जिसके लिये उसे अनुज्ञा पत्र दिया गया है।
- 6.9 अनुज्ञाधारी किसी एक व्यक्ति को एक समय में 100 ग्राम से अधिक भांग बिना सक्षम अधिकारी की आज्ञा के एक साथ नहीं बेच सकेगा, लेकिन राज्य सरकार जब भी उचित समझेगी तब अधिसूचना जारी कर इस मात्रा में कमी या वृद्धि कर सकेगी, जिसकी पालना अनुज्ञाधारी को करनी होगी। ऐसी आज्ञा के विरुद्ध वह कोई आपत्ति नहीं कर सकेगा और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की मांग कर सकेगा।
- 6.9 अनुज्ञाधारी 18 वर्ष से कम आयु वाले किसी व्यक्ति को या जिस व्यक्ति का होश हवास दुरस्त ना हो, भांग नहीं बेच सकेगा। इसी प्रकार पुलिस व सेना के सिपाही या रेल या आबकारी के कर्मचारियों को भी जो वर्दी पहने हुए या ड्यूटी पर हो, भांग नहीं बेच सकेगा। वाहन चालको को एवं हवाई जहाज के पायलटो को भी यात्रा के दौरान भांग नहीं बेच सकेगा।
- 6.10 अनुज्ञाधारी अथवा उसका नौकर अपनी दुकान पर किसी प्रकार दंगा, फसाद या जुआं नहीं होने देगा और ऐसे लोगो जो कुख्यात बदमाश हो, दुकानो पर आने नहीं देगा और रात को ऐसे बदमाशो को अपनी दुकान पर नहीं ठहरायेगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति दुकान में आवे जिसके विषय में पुलिस द्वारा दस्तान्दाजी योग्य और जमानत के अयोग्य अपराध का संदेह हो तो अनुज्ञाधारी या जो व्यक्ति उसकी ओर से दुकान पर कार्य करता हो उसका कर्तव्य होगा कि उसकी सूचना तुरन्त निकटवर्ती मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को दें।
- 6.11 अनुज्ञाधारी को भांग का विक्रय निर्धारित तोल से करना होगा। तोल का बाट हर समय साफ व स्वच्छ हालात में रखने होंगे। भांग से कोई अन्य चीज नहीं बना सकेगा, न बेच सकेगा।
- 6.12 भांग के साथ अन्य किसी सामग्री का बेचान नहीं किया जायेगा।
- 6.13 भांग समूह में भांग की मांग के अनुसार अनुज्ञाधारी को भांग की आपूर्ति करनी होगी।
- 6.14 जिला आबकारी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अनुज्ञाधारी किसी मेले में अस्थाई तौर पर दुकान नहीं लगा सकेगा।

7. अभिलेखो का संधारण :-

- 7.1 अनुज्ञाधारी को भांग की आमद, बिक्री और शेष बची मात्रा (Balance) का हिसाब निर्धारित रजिस्टर में दैनिक रूप से रखना होगा व निरीक्षण पंजिका भी रखनी होगी। यह रजिस्टर जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में मूल्य चुका कर प्राप्त करना होगा। प्रतिदिन का हिसाब दुकान बन्द करने के साथ उसी दिन लिखना होगा और मासिक आमद, बेचान व स्टॉक का नक्शा आगामी माह की 5 तारीख तक क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक के पास पेश करना होगा।
- 7.2 आबकारी निरीक्षक अथवा निरीक्षण के लिये अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर अनुज्ञाधारी को अपना अनुज्ञापत्र, नौकर का नौकरनामा व बिक्री रजिस्टर, परमिट पास एवं भांग का तमाम स्टॉक, इत्यादि जाँच हेतु बतलाना होगा तथा उसको दिन व रात में किसी भी समय दुकान में प्रविष्ट होने देगा और ऐसे अधिकारी को निरीक्षण के दौरान प्रत्येक प्रकार का सहयोग देगा।
- 7.3 अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्त होने अथवा किसी अन्य कारण से अनुज्ञापत्र रद्द होने की स्थिति में अनुज्ञाधारी को भांग के बचे हुए स्टॉक एवं समस्त रिकॉर्ड की सूचना अविलम्ब अपने क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक को देनी होगी। समस्त रिकॉर्ड उसे आबकारी निरीक्षक के कार्यालय में अविलम्ब जमा कराना होगा एवं बचे हुए स्टॉक का निस्तारण जिला आबकारी अधिकारी के आदेशानुसार करना होगा। निस्तारण होने तक बचा हुआ स्टॉक, आबकारी निरीक्षक एवं निवर्तमान अनुज्ञापत्र धारी के संयुक्त अभिरक्षण में ऐसे स्थान पर रहेगा, जहां व्यवसाय किया जा रहा था एवं निस्तारण करने तक उस स्थान का किराया बिजली व्यय एवं अन्य अधिभार निवर्तमान अनुज्ञाधारी को ही देने होंगे।

8. अनुज्ञापत्र को निरस्त करना :-

- 8.1 प्रत्येक माह की मासिक किश्त की राशि को उसी माह के अन्तिम कार्य दिवस तक जमा नहीं कराने पर इसे अनुज्ञापत्र की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा तथा इस आधार पर अनुज्ञापत्र को निरस्त किया जा सकेगा।
- 8.2 यदि अनुज्ञापत्र देने वाले अधिकारी अथवा उससे उच्च प्राधिकारी को किसी समय यह विश्वास हो कि अनुज्ञाधारी अपनी दुकान चालु नहीं रखता है अथवा ठीक तौर पर नहीं चलाता अथवा आवश्यक मात्रा में भांग नहीं बेचता है या इस तरह से काम करता है जिससे सरकार को हानि होने की आशंका हो अथवा अन्य कोई उचित एवं पर्याप्त कारण हो तो ऐसी दशा में अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- 8.3 अनुज्ञापत्र की अवधि के दौरान अनुज्ञाधारी के विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट 1985 अथवा आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 34 में उल्लेखित अधिनियमों तथा उसमें उल्लेखित धाराओं के अन्तर्गत अभियोग दर्ज होने या उसके सजायाब होने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- 8.4 यदि अनुज्ञाधारी अवैध रूप से भांग, अफीम, मदिरा या अन्य मादक पदार्थ रखता है या बेचता है या किसी अन्य राज्य में अवैध रूप से भांग बेचने का या अफीम या मदिरा या अन्य मादक पदार्थ बेचने का काम करता है या किसी ऐसी जगह से उसका सम्बन्ध है जहां से ये वस्तुएँ अवैध रूप से लायी जाने का संदेह हो तो ऐसी दशा में अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।

- 8.5 यदि अनुज्ञाधारी अथवा उसके नौकर द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 उसके अन्तर्गत बने राजस्थान आबकारी नियम, 1956 अथवा नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट 1985 एवं राजस्थान नारकोटिक ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज रूल्स 1985 अथवा निविदा, निविदा के साथ संलग्न विस्तृत निर्देश एवं शर्तों अनुज्ञाधारियों के पक्ष में जारी की गयी स्वीकृति एवं अनुज्ञापत्र में वर्णित शर्तों अथवा समय-समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों की अवहेलना किये जाने पर अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- 8.6 अनुज्ञा फीस की मासिक किश्तों एवं अन्य देय राशियों को निर्धारित समय पर जमा नही कराने, निविदा प्रपत्र, निविदा के संबंध में विस्तृत निर्देश एवं शर्तों तथा अनुज्ञापत्रों की शर्तों की पालना नही करने तथा अन्य कोई उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर आबकारी विभाग को निविदादाता/अनुज्ञाधारी के पक्ष में जारी की गयी स्वीकृति/अनुज्ञापत्र को निरस्त कर उनके द्वारा जमा करायी गयी धरोहर राशि (अमानत/अन्य जमा राशि सहित) को जब्त की जायेगी। अनुज्ञाधारी के विरुद्ध कोई अनुज्ञाराशि या अन्य कोई देयता रहती है तो उसके द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी से, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत तथा भू राजस्व की बकाया की भांति उनकी समस्त चल-अचल संपत्तियों से, उनके वारिसों/उत्तराधिकारियों से वसूल की जा सकेगी।

9. **बकाया राशियों की वसूली :-**

अनुज्ञाधारी के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई आबकारी राजस्व मय ब्याज बकाया रहने की स्थिति में उसकी वसूली विभाग के पास अनुज्ञाधारी की किसी भी जमा राशि से, उनके द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी से तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं केन्द्रीय राजस्व वसूली अधिनियम 1890 के प्रावधानों के अनुसार भू-राजस्व की बकाया की भांति अनुज्ञाधारियों, उनके वारिसों/ उत्तराधिकारियों से की जायेगी। अनुज्ञाधारियों की सम्पत्तियों तथा उनके वारिसों/ उत्तराधिकारियों की सम्पत्तियों पर प्रथम प्रभार आबकारी विभाग का रहेगा। प्रथम प्रभार का अंकन अनुज्ञाधारी की स्वामित्व की परिसम्पत्तियों के मूल रेकार्ड/राजस्व रेकार्ड में अंकन कराया जावेगा।

10. **अन्य बिन्दु :-**

- 10.1 अनुज्ञाधारी के लिए अनिवार्य होगा कि वह आबकारी अधिनियम व नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट के तहत घटित अपराध उसकी जानकारी में आने पर जिला आबकारी अधिकारी या हलके के आबकारी निरीक्षक को अविलम्ब सूचना देगा।
- 10.2 राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट, 1985 एवं राजस्थान नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज रूल्स, 1985 के समस्त प्रावधान यथारूप में लागू होंगे।

अनुज्ञापत्र देने वाले के हस्ताक्षर

प्रतिसंविद

अनुज्ञापत्र संख्या..... जिला..... समूह का नाम.
..... मैं/हम उपर्युक्त अनुज्ञापत्र
के संबंध में इसमें निर्दिष्ट शर्तों तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाये
गये नियमों, नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट, 1985 एवं राजस्थान
नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज रूल्स, 1985, निविदा, निविदा के साथ संलग्न
विस्तृत निर्देश एवं शर्तों, हमारे पक्ष में जारी की गई स्वीकृति एवं समय-समय पर प्रसारित विभागीय
निर्देशों की पालना करना पूर्णतः स्वीकार करता हूँ/करते हैं।

हस्ताक्षर अनुज्ञाधारी

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये

आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर

भाग थोक अनुज्ञा पत्र

अनुज्ञापत्र सं. :

दिनांक :

श्री/सर्व श्री
निवासी जो कि भांग दुकानात समूह
.....के वर्षमें खुदरा अनुज्ञाधारी है
को उनके आवेदन पर रुपये 10,000/- (शब्दों में रुपये दस हजार) के वार्षिक अनुज्ञा शुल्क पर वर्ष
.....के लिये भांग थोक अनुज्ञापत्र निम्न शर्तों पर प्रदान किया जाता है:-

1. भांग थोक अनुज्ञापत्र हेतु वार्षिक अनुज्ञा शुल्क की राशि रु. 10,000/- जमा करानी होगी।
2. भांग का थोक गोदाम संबंधित जिला आबकारी अधिकारी से अनुमोदित करवाना आवश्यक होगा।
3. इस अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत अनुज्ञाधारी संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी परमिट के अन्तर्गत अन्य राज्यों में स्थित भांग के थोक विक्रेताओं या राज्य के अन्य भांग थोक अनुज्ञाधारियों से ही भांग का क्रय कर सकेगा।
4. थोक अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत प्राप्त भांग का विक्रय अपने खुदरा समूह की दूकानात, राज्य के अन्य थोक एवं खुदरा अनुज्ञाधारी एवं राज्य में भांगयुक्त औषधियों के निर्माण हेतु अधिकृत फार्मसीज को ही संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी परमिट/पास के आधार पर कर सकेगा।
5. अनुज्ञाधारी को राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 69-बी में उल्लेखित परमिट फीस तथा अन्य प्रभारों का नियमानुसार भुगतान करना होगा।

6. अनुज्ञाधारी अपने थोक से खुदरा में भांग का स्थानान्तरण जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी परमिट के आधार पर ही कर सकेगा एवं उसे इस हेतु नियमानुसार परमिट फीस अदा करनी होगी।
7. अनुज्ञाधारी को भांग के आयात/परिवहन के दौरान परमिट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ रखने होंगे।
8. अनुज्ञाधारी अपने थोक एवं खुदरा का लेखा जोखा पृथक-पृथक रखेगा।
9. अनुज्ञापत्र अवधि समाप्ति पर शेष रहे भांग के स्टॉक पर नियमानुसार स्टॉक स्थानान्तरण शुल्क का भुगतान कर जिला आबकारी अधिकारी की अनुमति से आगामी वर्ष में अन्य अनुज्ञाधारी को एक माह की अवधि में भांग स्थानान्तरित करना आवश्यक होगा अन्यथा भांग का अवशेष स्टॉक राज्यसात किया जा सकेगा।
10. अनुज्ञाधारी को अपना गोदाम एवं लेखे आबकारी विभाग के निरीक्षक एवं अधिकारियों के निरीक्षण के वक्त मांगे जाने पर प्रस्तुत करने होंगे।
11. अनुज्ञाधारी को शुष्क दिवसों के दिन अपनी दूकान बंद रखनी होगी।
12. अनुज्ञाधारी राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट, 1985 एवं इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, इस अनुज्ञापत्र की शर्तों एवं समय समय पर जारी होने वाले विभागीय निर्देशों की पूर्ण पालना करेगा। इसमें से किसी का भी उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञापत्र निरस्त किया जा सकेगा। वर्ष के दौरान यदि अनुज्ञाधारी का भांग खुदरा अनुज्ञापत्र किसी कारण से निरस्त हो जाता है तो यह थोक अनुज्ञापत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

जिला आबकारी अधिकारी

प्रति संविद

अनुज्ञापत्र संख्याजिलासमूह का नाम
मै/हम उपर्युक्त अनुज्ञापत्र के संबंध में इसमें निर्दिष्ट शर्तों तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट, 1985 एवं राजस्थान नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज रूल्स, 1985, निविदा, निविदा के साथ संलग्न विस्तृत निर्देश एवं शर्तों, हमारे पक्ष में जारी की गई स्वीकृति एवं समय समय पर प्रसारित विभागीय निर्देशों की पालना करना पूर्णतः स्वीकार करता हूँ/करते हैं।

हस्ताक्षर अनुज्ञाधारी

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये
 आबकारी निरीक्षक,
 वृत्त

प्रति हस्ताक्षर

जिला आबकारी अधिकारी